

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./30/2008/ 82

भोपाल, दिनांक 30.08.08


:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती ज्योति सोनी अध्यापक (विज्ञान) शा. क.मावि कृष्णगढ़ पवई जिला-पन्ना	जनपद पंचायत पवई जिला-पन्ना जा.क्र. 08, दि. 17.07.08	जिला पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र. 09, दि. 17.07.08 शा. मावि जिन्दा
2	श्रीमती सुधा निकोसे सहायक अध्यापक शा. मावि नेवरगांव जिला-बालाघाट	जनपद पंचायत बालाघाट जिला-बालाघाट जा.क्र. 2990, दि.15.10.07	जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा जा.क्र. 1748, दि. 12.08.08 शा. उ.प्रावि भिलमा मिल सिवनी
3	श्रीमती ललिता गेहलोत सहायक अध्यापक शा. प्रावि उमरनी जिला-उज्जैन	जनपद पंचायत खाचरौद जिला-उज्जैन जा.क्र. 412, दि. 18.08.08	जनपद पंचायत रतलाम जिला-रतलाम जा.क्र. क्यू, दि. 22.08.08 शा. प्रावि घटला एवं भट्टनी
4	श्रीमती मोनिका विजयवर्गीय सहायक अध्यापक शा. क.प्रावि मड़वदा जिला-उज्जैन	जनपद पंचायत खाचरौद जिला-उज्जैन जा.क्र. क्यू, दि.10.01.08	नगर पालिक निगम, इन्दौर जिला-इन्दौर जा.क्र. 872/जीए,दि.22.08.08 शा. उन्नत मावि कुम्हारभट्टी

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।





4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30-08-08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./30/2008/ 82
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. जिला कलेक्टर, पन्ना/सागर/बालाघाट/छिन्दवाड़ा/उज्जैन/रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना/सागर/बालाघाट/छिन्दवाड़ा/उज्जैन/रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पन्ना/सागर/बालाघाट/छिन्दवाड़ा/उज्जैन/रतलाम एवं इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पवई जिला-पन्ना/बालाघाट जिला-बालाघाट/छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा/खाचरौद जिला-उज्जैन/रतलाम जिला-रतलाम मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित - उपर्युक्त तालिका के कालम-2 में उल्लेखित आवेदक।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

९

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए + डी /संवि./०४/२००८/११३३

भोपाल, दिनांक 14.08.2008

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-२ में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-३ तथा तालिका के कालम-४ में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स. क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
१	२	३	४
१	श्रीमती धुंधरी डाबर, अध्यापक. शा.मा.वि. बोल्दा,	जनपद पंचायत शुजालपुर जिला-शाजापुर. क्र.२१४ दि.०२/०८/२००८	जनपद पंचायत आष्टा जिला-सीहोर. क्र.४४३२, दि.०६/०८/२००८. मा.वि. पगारियाचोर, मा.वि.बगड़ावदा,
२	दीपमाला धुर्वे, सहायक अध्यापक. शा.प्रा.वि. जिनवानियों.	जनपद पंचायत खिरकिया जिला-हरदा क्र.१३२५, दि. २८/०७/२००८.	जनपद पंचायत सांवेर जिला-इंदौर. क्र.२७९९, दि.०२/०८/२००८.शा.प्रा.वि. बदरखा, शा.प्रा.वि. बसान्डा,
३	योगिता सोनी, अध्यापक. मा.वि. तोबरीखेड़ा, तहसील तराना जिला-उज्जैन.	जनपद पंचायत तराना जिला-उज्जैन क्र.३०५७, दि. ०१/०८/२००८.	जनपद पंचायत इंदौर जिला-इंदौर क्र.२४७३, दि.०२/०८/२००८.शासकीय हाईस्कूल सेमल्याचारु,
४	कु. पारूल श्रीवास्तव, अध्यापक. शा.मा.वि. अख्यारपुर तहसील शुजालपुर जिला-शाजापुर.	जनपद पंचायत शुजालपुर क्र.१४१०, दि. २५/०६/२००८.	नगरपालिका परिषद् कोलार क्र.१७०१, दि.०४/०८/२००८. माध्यमिक शाला सलैया,
५	श्रीमती नीलम भार्गव, सहायक अध्यापक. प्राथमिक शाला रतना रतनपुर, (बैरसिया) जिला-भोपाल.	जनपद पंचायत बैरसिया, जिला-भोपाल क्र.४०१५, दि. १५/०७/२००८.	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला-होशंगाबाद क्र.९५४, दि.१५/०७/२००८.शा.प्रा.शाला गाजनपुर, शा.प्रा.शाला बासनियाकलां या शा.प्रा.शाला भमेड़ी,
६	बंदना जाट, सहायक अध्यापक. शा.पू.मा.शाला टेटका, जयसिंहनगर जिला-शहडोल.	जनपद पंचायत जयसिंहनगर, जिला-शहडोल. क्र.१५०४, दि. १४/०७/२००८.	जनपद पंचायत सागर जिला-सागर क्र.१८९५, दि.०२/०८/२००८. प्राथमिक शाला किसनपुरा, प्राथमिक शाला मोकलपुर, प्राथमिक शाला मिड़वासा,

7	श्रीमती अनुपमा शुक्ला, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि.भाटीबडोदिया जिला-रतलाम.	जिला पंचायत रतलाम क्र.6392, दि. 20/06/2006	नगर पंचायत महू, जिला-इंदौर जा. क्र. 246, दि.25/06/2007. शा.उ.मा.वि. मानपुर.
---	--	--	--

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित



उप संचालक


लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 14/08/2008

पृष्ठा क्र०/अध्या.संवर्ग/ए + डी /संवि./04/2008/1134
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश